सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु व्यक्तियों, समूहों एवं समाज के अवयवों के अधिकारों एवं दायित्वों पर घोषणा पत्र

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली – 110 001

सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु व्यक्तियों, समूहों एवं समाज के अवयवों के अधिकारों एवं दायित्वों पर घोषणा पत्र

फरीदकोट हाऊस, कॉपरनिकस मार्ग
नई दिल्ली – 110 001

आम सभा के 9 दिसम्बर, 1998 के प्रस्ताव 53/144 द्वारा अंगीकार किया गया

आमसभा,

विश्व के सभी देशों के सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों के अनुपालन के महत्व की पुष्टि करते हुए–

मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुपालन एवं उनके लिए सार्वभौम सम्मान को बढ़ावा देने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के लिए मूलभूत संघटक के रूप में मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र एवं मानव अधिकार संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों (प्रसंविदाओं) के महत्व तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर अंगीकार किए गए अन्य मानव अधिकार दस्तावेजों के महत्व की भी पुष्टि करते हुए,

इस बात पर जोर देते हुए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्य संयुक्त रूप से एवं पृथक रूप से जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म राजनैतिक या अन्य विचारधाराओं, राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म या अन्य स्थिति के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव सहित किसी भी प्रकार का भेद–भाव किए बिना सभी के मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के लिए सम्मान को बढ़ावा देने एवं उसे प्रोत्साहित करने के लिए अपने दायित्व का पालन करेंगे तथा चार्टर के अनुसार इस दायित्व के पालन के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्राप्त करने के विशेष महत्व की पुष्टि करते हुए,

रंगभेद, हर प्रकार के नस्लीय भेद–भाव, उपनिवेशवाद, विदेशी प्रभुत्व या आधिपत्य, राष्ट्रीय सम्प्रभुता, राष्ट्रीय एकता या क्षेत्रीय अखंडता पर किए गए हमले या इन पर उत्पन्न खतरों एवं लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार एवं राष्ट्र की संपत्ति एवं प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्येक

व्यक्ति के पूर्ण सम्प्रभुता के अधिकार को मान्यता प्रदान करने से इंकार करने पर उत्पन्न हुए व्यापक, जघन्य अथवा योजनाबद्ध अतिक्रमणों सहित मानव अधिकारों तथा लोगों एवं व्यक्तियों के मौलिक स्वतंत्रता के सभी अतिक्रमणों के प्रभावी उन्मूलन में योगदान के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, व्यक्तियों, समूहों एवं संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए,

अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा तथा मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के उपभोग की परस्पर सापेक्षता को स्वीकार करना तथा इस बात को ध्यान में रखना कि अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभाव में इनके अनुपालन से छूट नहीं दी जा सकती है,

इस बात को दोहराना कि सभी मानव अधिकार एवं मूलभूत स्वतंत्रताएं सार्वभौम, अविभाज्य, अन्योन्याश्रित एवं अंतः संबंधित हैं तथा इनमें से प्रत्येक अधिकार एवं स्वतंत्रता को बिना किसी

भेद–भाव के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत तरीके से संवर्द्धित एवं लागू किया जाना चाहिए,

इस बात पर जोर देते हुए कि मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने का दायित्व मुख्यतः राज्य का है

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने तथा उनकी संचित जानकारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तियों, समूहों एवं संघों के अधिकार एवं उनके दायित्व को मान्यता प्रदान करते हुए,

यह घोषणा करता है कि:

अनुच्छेद 1

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एवं अन्यों के साथ सामूहिक रूप से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर मानव अधिकारों एवं

मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने एवं इन्हें बढ़ावा देने हेतु प्रयास करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 2

1. प्रत्येक राज्य का यह मुख्य दायित्व एवं कर्त्तव्य है कि वह अन्य बातों के साथ–साथ ऐसे कदम अपनाकर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं अन्य क्षेत्रों में सभी आवश्यक दशाओं के निर्माण के लिए आवश्यक हो, सभी मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करे, उन्हें बढ़ावा दें एवं उन्हें लागू करें और साथ–साथ कानूनी गारंटी प्रदान करें जो यह सुनिश्चित करे कि इसके शासनाधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से एवं अन्यों के साथ सामूहिक रूप में, उन सभी अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का व्यावहारिक रूप से उपभोग करने में समर्थ हैं।

2. प्रत्येक राज्य ऐसे वैधानिक, प्रशासनिक एवं अन्य कदम उठायेंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि मौजूदा घोषणा पत्र में संदर्भित अधिकार एवं स्वतंत्रताएं प्रभावी रूप से गारंटित हैं।

अनुच्छेद 3

संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के समनुरूप घरेलू कानून तथा मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं के क्षेत्र में राज्य के अन्य अंतरराष्ट्रीय दायित्व वह न्यायिक ढांचा है जिसके तहत् मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को लागू किया जाना चाहिए एवं उनका उपभोग किया जाना चाहिए तथा जिसके तहत् उन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित करने, उनकी रक्षा करने एवं उनको प्रभावी रूप से लागू करने के लिए मौजूदा घोषणापत्र में संदर्भित सभी गतिविधियों को संचालित किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 4

मौजूदा घोषणापत्र में किसी भी घोषणा को संयुक्त राष्ट्रसंघ के चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धातों को कमजोर करने वाला या उसका विरोध करने वाला या मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणापत्र के उपबंधों, मानव अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं एवं अन्य अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों एवं इस क्षेत्र में उपयुक्त प्रतिबद्धताओं को प्रतिबंधित करने वाला या उसका अनादर करने वाला नहीं समझा जाएगा।

अनुच्छेद 5

मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने के उद्देश्य हेतु प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एवं अन्यों के साथ सहयोग से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर यह अधिकार है कि वह;

(अ) शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र हों एवं सभा करें

(ब) गैर--सरकारी संगठन, संघ अथवा समूह बनाएं, उसमें शामिल हों तथा भाग लें।

(स) गैर–सरकारी अथवा अन्तर–सरकारी संगठनों के साथ पत्र व्यवहार कर सकें।

अनुच्छेद 6

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से एवं अन्यों के साथ सहयोग से यह अधिकार है कि

(अ) सभी मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं के बारे में जानने, सूचना मांगने, उसे प्राप्त करने का अधिकार है, जिसमें उन अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को घरेलू, वैधानिक, न्यायिक या प्रशासनिक प्रणाली (व्यवस्था) में किस प्रकार इन्हें लागू किया जाना है, के संबंध में सूचना प्राप्त करना भी शामिल है।

(ब) जैसा कि मानव अधिकारों एवं अन्य उपयुक्त अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों में

उपबंधित है, सभी मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रकाशित करने, उन पर राय व्यक्त करने, सूचना प्रदान करने एवं ज्ञान का प्रसार करने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है।

(स) सभी प्रकार के मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के अनुपालन के संबंध में अध्ययन करना, विचार–विमर्श करना, टिप्पणी के संबंध में विधिक तथा व्यावहारिक दोनों रूपों में विचार अभिव्यक्त करना तथा अन्य उपयुक्त साधनों के जरिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना।

अनुच्छेद 7

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से मानव अधिकारों संबंधी नए विचारों और सिद्धांतों का विकास करने और चर्चा करने तथा उनकी स्वीकार्यता का समर्थन करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 8

1. प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से बिना किसी भेदभाव के अपने देश की सरकार तथा जन मामलों के संचालन में प्रभावी पहुँच होने और उसमें सहभागी होने का अधिकार है।

2. इसमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से सरकारी निकायों और अभिकरणों तथा जन मामलों से संबद्ध संगठनों को अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु आलोचना तथा प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं उनके कार्य के किसी ऐसे पहलू पर ध्यान आकर्षित करने का अधिकार है जो मानव अधिकारों तथा मौलिक स्वतंत्रताओं के संवर्द्धन, संरक्षण और उपभोग में बाधा उत्पन्न करें।

अनुच्छेद 9

1. मौजूदा उद्घोषणा में संदर्भित मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन सहित मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के उपभोग में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से प्रभावी उपायों से लाभान्वित होने और उनके अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में संरक्षित किए जाने का अधिकार है।

2. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके अधिकार या स्वतंत्रताओं का तथाकथित रूप से उल्लंघन हुआ है, व्यक्तिगत तौर पर या वैधानिक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधित्व के माध्यम से शिकायत करने और कानून द्वारा स्थापित स्वतंत्र, निष्पक्ष और सक्षम न्यायिक या अन्य प्राधिकरण के समक्ष जन सुनवाई में उस शिकायत की तत्काल समीक्षा करवाने और ऐसे प्राधिकरण से

कानून के अनुरूप निर्णय प्राप्त करने का अधिकार है जिससे उसकी शिकायत का निवारण हो सके जिसमें ऐसे मामलों में देय क्षतिपूर्ति भी शामिल है। और साथ ही बिना किसी विलम्ब के उस व्यक्ति जिसके अधिकार या स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है, अंतिम निर्णय तथा अधिनिर्णय का प्रवर्तन करवाने का अधिकार है।

3. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से यह अधिकार है कि :–

(क) मानव अधिकार और मौलिक स्वंतत्रताओं के उल्लंघन के संबंध में किसी अधिकारी और सरकारी निकायों की नीतियों और कार्यों की शिकायत याचिका या अन्य उचित माध्यम से देशीय न्यायिक, प्रशासनिक या विधिक प्राधिकारी या

राज्य की विधिक प्रणाली द्वारा मुहैया कराए गए ऐसे अन्य सक्षम अधिकारी से शिकायत करना जो बिना किसी विलम्ब के उस शिकायत पर अपना निर्णय दे।

(ख) जन सुनवाईयों, कार्यवाहियों और विचारणों में उपस्थित होना ताकि राष्ट्रीय कानूनों और उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धताओं के अनुरूप उनके अनुपालन पर राय कायम की जा सके।

(ग) मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संरक्षण में व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त विधिक सहायता या अन्य संबंधित सुझाव और सहायता मुहैया कराना।

4. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु और उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में प्रत्येक व्यक्ति को

व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के मामलों पर प्राप्त होने वाले आदान–प्रदान को प्राप्त करने की आम और विशेष क्षमता रखने वाले अंतरराष्ट्रीय निकायों तक निर्बाध्य पहुँच और संपर्क का अधिकार होना।

5. जब कभी राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भू–भाग में मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का उल्लंघन होने की घटना पर विश्वास करने का यथोचित आधार हो, तो राज्य तत्काल और निष्पक्ष जाँच करेगा या यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी जाँच की जाए।

अनुच्छेद 10

कोई भी अपने कार्य से या यथापेक्षित कार्रवाई करने में विफल रहकर मानव अधिकारों और

मूलभूत स्वतंत्रता के उल्लंघन में संलिप्र नहीं होगा और न ही ऐसा करने से इंकार करने पर किसी के विरूद्ध कोई सजा या किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी।

अनुच्छेद 11

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से अपना व्यवसाय या वृत्ति के विधिसम्मत ढंग से करने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति, जो अपने व्यवसाय से दूसरों की मानव–गरिमा मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रताओं को प्रभावित कर सकता है, को उन अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं एवं संगत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा व्यवसाय के नियमों या नैतिक मूल्यों का सम्मान करना चाहिए।

अनुच्छेद 12

1. प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और अन्यों के सहयोग से, मानव अधिकारों

और मूलभूत स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के विरूद्ध शांतिपूर्वक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है।

2. राज्य, व्यक्ति और समूह के विरूद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा, धमकी, प्रतिशोध, वास्तविक या वैध प्रतिकूल भेदभाव, दबाव या अन्य प्रकार की मनमानी कार्रवाई जिससे मौजूदा उद्घोषणा में संदर्भित अधिकारों का विधिसम्मत उपभोग प्रभावित होता है, के संरक्षण हेतु सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से सभी अनिवार्य कदम उठाएगा।

3. इस संदर्भ में प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से शांतिपूर्ण माध्यमों, गतिविधियों और कृत्यों के द्वारा ऐसे कार्यों के विरूद्ध जिसमें मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए राज्य जवाबदेह है,

साथ ही किसी समूह या व्यक्ति विशेष द्वारा की गई हिंसा की घटना जिससे मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं का उपभोग प्रभावित हुआ हो, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने या विरोध करने हेतु राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत प्रभावी रूप से सुरक्षा प्राप्त करने का हक है।

अनुच्छेद 13

प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर और अन्यों के सहयोग से मौजूदा उद्घोषणा के अनुच्छेद 3 के अनुरूप मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने और इनका संरक्षण करने के उद्देश्य से शांतिपूर्ण माध्यमों से संसाधनों के लिए अनुरोध करने, इन्हें प्राप्त करने और इनका उपयोग करने का अधिकार है।

अनुच्छेद 14

1. राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के संवर्द्धन हेतु लोगों के बीच आपसी समझ बढ़ाने के लिए विधिक, न्यायिक, प्रशासनिक या अन्य उपयुक्त उपाय करे।

2. ऐसे उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

   (क) राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों और उपयुक्त मूलभूत अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार प्रपत्रों का प्रकाशन करना और व्यापक रूप से उपलब्ध कराना।

(ख) मानव अधिकारों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार समझौते के द्वारा स्थापित निकायों को राज्य, जो कि एक पक्षकार है, द्वारा प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टें तथा ऐसे निकायों के विचार विमर्श संबंधी अभिलेखों के सार तथा शासकीय रिपोर्ट सहित अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों को पूर्ण रूपेण एवं समान रूप से उपलब्ध कराना।

3 जहाँ कही उचित हो राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में मानव अधिकार आयोग या अन्य प्रकार के राष्ट्रीय संस्थान में मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संवर्द्धन और संरक्षण हेतु स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थाओं, जो लोकपाल मानव अधिकार आयोग या अन्य प्रकार के राष्ट्रीय संस्थान हो सकते हैं, को स्थापित करने और इन्हें

विकसित करने को सुनिश्चित करेगा तथा इन्हें सहायता प्रदान करेगा।

अनुच्छेद 15

राज्य का यह दायित्व है कि वह शिक्षा के सभी स्तरों पर मानव अधिकार और मूलभूत स्वतंत्रताओं की शिक्षा को बढ़ावा दे और इन्हें सुलभ बनाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि जिन पर वकीलों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों, सशस्त्र बलों के कार्मिकों और सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व है, वे अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम मे मानव अधिकार शिक्षा के उपयुक्त धटकों को शामिल करें।

अनुच्छेद 16

व्यक्तियों, गैर–सरकारी संगठनों और संगत संस्थान शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान जैसी गतिविधियों के माध्यम से सभी मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं से संबंधित प्रश्नों पर आम लोगों को और अधिक जागरूक बनाने में

महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है, ताकि इन क्षेत्रों में समाज की विभिन्न पृष्ठभूमियों और समुदायों जिनके अंतर्गत वे अपना कार्य करते हैं, को ध्यान में रखते हुए सभी राष्ट्रों और सभी नस्लों एवं धार्मिक समूहों के बीच आपसी समझ, सहिष्णुता, शांति और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत बनाया जा सके।

अनुच्छेद–17

मौजूदा उद्घोषणा में संदर्भित अधिकारों और स्वतंत्रताओं के उपभोग हेतु प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर केवल उन्हीं सीमाओं में बांधा जाए जो उपयुक्त अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की अपेक्षित पहचान और सम्मान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से एक लोकतंत्रिक समाज में नैतिकता, सामाजिक शांति और लोक कल्याण की यथोचित जरूरतों हेतु निर्धारित किया जाता है।

अनुच्छेद – 18

1. प्रत्येक व्यक्ति का समाज, जिसमें उसके व्यक्तित्व के स्वतंत्र एवं पूर्ण विकास की संभावनाएँ हैं, के प्रति कर्त्तव्य है।

2. सेट को व्यक्तियों, समूह, संस्थान और गैर– सरकारी संगठन को लोकतंत्र के संरक्षण, मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के संवर्द्धन और लोकतांत्रिक समाज, संस्थानों और प्रक्रमों के संवर्द्धन एवं उत्थान में योगदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

3. सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जिसके अतंर्गत मानव अधिकारों के सार्वभौम घोषणा पत्र एवं अन्य मानव अधिकार प्रपत्रों में अधिकारों और स्वतंत्रताओं को निर्धारित किया गया है, में प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार के संवर्द्धन के लिए व्यक्ति, समूह, संस्थान और

गैर–सरकारी संगठन को भी अपना योगदान करके जवाबदेही निभानी होगी।

अनुच्छेद 19

मौजूदा उद्घोषणा में निहित किसी घोषणा की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि किसी व्यक्ति, समूह या समाज के अंग या किसी राज्य को किसी ऐसे कार्यकलाप में शामिल होने का अधिकार है जिसका लक्ष्य मौजूदा घोषणा में उल्लिखित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को समाप्त करना हो।

अनुच्छेद 20

मौजूदा उद्घोषणा में निहित किसी घोषणा की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि राज्यों को व्यक्ति, व्यक्ति समूह, संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों की ऐसी गतिविधि को समर्थन देने और संवर्द्धन करने की अनुमति प्राप्त है जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में निहित प्रावधानों के विपरीत है।